खनिज प्रशासन

खनिज प्रशासन विभाग का महत्वपूर्ण अंग है । खनिजों के संरक्षण के साथ–साथ इनका संवर्धन एवं सुनियोजित दोहन आवश्यक है । खनिज प्रशासन का जिला स्तर पर नियंत्रण जिलाध्यक्ष के अधीन होता है । खनिज प्रशासन के जिला स्तर पर पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियें द्वारा जिलाध्यक्षों के नियंत्रण में खनिज रियायत आवेदन पत्रों का निराकरण, स्वीकृत खनि पट्टों में विभिन्न खनि विधानों का क्रियान्वयन, खनिज राजस्व निर्धारण एवं वसूली, खनिजों तथा खनिज राजस्व की चोरी की रोक एवं नियंत्रण आदि कार्य संपादित किए जाते हैं ।

विभाग व्दारा प्रशासित अधिनियम/नियम –

1. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर, 1957)
2. खनिज रियायत नियम, 1960 (एमसीआर, 1960)
3. खनिज सरंक्षण एवं विकास नियम, 1988 (एमसीडीआर 1988)
4. संगमरमर विकास एवं सरंक्षण नियम, 2002
5. ग्रेनाईट सरंक्षण एवं विकास नियम, 1999
6. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996
7. छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009
8. तेल एवं प्राकृतिक गैस नियम, 1959

1. अवीक्षी अनुज्ञापत्र (रिकॉनेसेन्स परमिट) – ''अवीक्षी अनुज्ञापत्र'' खनिजों के प्रारंभिक पूर्वेक्षण कार्यों को करने हेतु प्रदान किया जाता है । किसी खनिज हेतु क्षेत्रीय वायु संबंधी, भू–भौतिकी, भू–रसायनिक सर्वेक्षण एवं भौमिकीय मानचित्र के माध्यम से किया गया प्रारंभिक सर्वेक्षण एवं अन्वेषण रिकॉनेसेन्स परमिट के अन्तर्गत किया जाता है किन्तु गड्डे करना, खाई खोदना, वर्मा से छेद करना (केन्द्र सरकार व्दारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट छड़ी लगी ढांचे पर बोरहोल के छेद करने को छोडकर) या उप–सतह पर खोदना इसमें शामिल नहीं है ।

अवीक्षी अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन, खनिज रियायत नियम, 1960 (एमसीआर, 1960) में संलग्न फार्म ''ए'' में 4 प्रतियों में संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, रायपुर के माध्यम से राज्य शासन

को प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक आवेदन के साथ पांच रूपये प्रति किलोमीटर अथवा उसके भाग की दर से आवेदन शुल्क जो कि वापसी योग्य नहीं होता, संलग्न किया जाना होता है ।

2. पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति (प्रास्पेटिंग लायसेंस) – पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति खनिजों के पूर्वेक्षण संक्रियॉं हेतु जारी की जाती है । पूर्वेक्षण संक्रिया से आशय, ऐसी संक्रियाओं के उपक्रम से है जिन्हें खनिजों के भण्डार की खोज करने, उसकी अवस्थिति ज्ञात करने या सिद्ध करने के आशय से की गई हो ।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अनुसार मुख्य खनिजों की खनिज रियायतों के आवेदनों के निराकरण का अधिकार राज्य शासन को है । अनुसूची –एक के खनिजों के प्रास्पेटिंग लायसेंस अथवा उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन खनिज रियायत नियम, 1960 (एमसीआर, 1960) में दर्शित क्रमशः फार्म ''बी'' तथा फार्म ''ई'' में संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, रायपुर के माध्यम से राज्य शासन को प्रस्तुत किये जाते है । अन्य खनिजों हेतु आवेदन संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते है । प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ रू. 250/– प्रथम वर्ग कि.मी. अथवा उसके भाग के लिए रू. 50/– प्रति अतिरिक्त वर्ग कि.मी. की दर से शुल्क संलग्न किया जाता है ।

3. खनि पट्टा (मायनिंग लीज) – खनन संक्रियाओं हेतु खनि पट्टा प्रदान किया जाता है, जिसमें इन कार्यों हेतु दिया गया सब–लीज भी सम्मिलित है । ''खनन संक्रियाओं'' से तात्पर्य है किसी भी खनिज को निकालने हेतु की गई संक्रियाऐं ।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की अनुसूची – एक के खनिजों के लिए खनि पट्टा हेतु आवेदन खनिज रियायत नियम, 1960 (एमसीआर, 1960) में संलग्न फार्म ''आई'' में संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, रायपुर के माध्यम से राज्य शासन को प्रस्तुत किये जाते है । अन्य खनिजों हेतु आवेदन संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते है । खनि पट्टा अथवा उसके नवीनीकरण के प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ रू. 2500/– का आवेदन शुल्क जो कि वापसी योग्य नहीं होता, प्रस्तुत किया जाना होता है।

अवीक्षी अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति एवं खनि पट्टा की स्वीकृति एवं संचालन संबंधी नियम, प्रक्रिया एवं शर्तें ''खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957'' (एमएमडीआर, 1957) ''खनिज रियायत नियम, 1960'' (एमसीआर, 1960) एवं खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 के तहत प्रावधानित होते हैं । उक्त अधिनियम/नियम भारत सरकार, खान मंत्रालय के वेबसाइट www.mines.nic.in में देखा जा सकता है ।

4. उत्खनि पट्टा (क्वारी लीज) एवं उत्खनन अनुज्ञापत्र (क्वारी परमिट) – गौण खनिजों के उत्खनन के लिए उत्खनि पट्टा स्वीकृत की जाती है, जिसके अन्र्तगत गौण खनिज जैसेः– बिल्डिंग स्टोन, ग्रेवल, सामान्य रेत, सेंड (विशिष्ट औद्योगिक उपयोग के लिए चिन्हित सेंड के अतिरिक्त), मुरूम इत्यादि समाहित हैं जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 की अनुसूची–एक एवं दो में विनिर्दिष्ट है । गौण खनिज नियम के अन्तर्गत किसी विशिष्ट प्रयोजन एवं निर्धारित समय हेतु किसी गौण खनिज को निकालने तथा हटाने की अनुमति उत्खनन अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत प्रदान की जाती है ।

उत्खनि पट्टा एवं उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 में संलग्न फार्म ''आई'' में संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाता है ।

5. गौण खनिज रेत का खनन एवं व्यवसाय– दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय का अधिकार ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय को दिए गए हैं । रेत पर रु. 20/– प्रति घन मीटर की दर से रायल्टी निर्धारित की गई है । रेत की रायल्टी से प्राप्त राशि सीधे तौर पर स्थानीय पंचायतों/नगरीय निकाय को प्राप्त होती है ।

6. दिनांक 10 जून, 2008 से गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का 25 प्रतिशत की समतुल्य राशि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को तथा 75 प्रतिशत की समतुल्य राशि पंचायतों एवं स्थानीय निकायों को वितरण का प्रावधान किया गया है ।

7. अनुवांशिक कुम्हार, अनुसूचित जाति के सदस्य या अनुसूचित जनजाति के सदस्य या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की सहकारी सोसायटी को परंपरागत साधनों से कवेलू, बर्तन या ईट बनाने के लिए (परन्तु भट्टों में निर्माण क्रिया द्वारा या यांत्रिक साधनों द्वारा नहीं) ग्राम पंचायतों द्वारा उनके अपने–अपने क्षेत्र के भीतर विनिश्चित और निर्धारत स्थानों से मिट्टी तथा रेत का उत्खनन निशुल्क किये जाने का प्रावधान किया गया ।

8. पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से नदी, नालों, बांध, पुल तथा राष्ट्रीय /राज्य राजमार्गों से 100 मीटर के भीतर गौण खनिज के उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है ।

9. दिनांक 1.11.2009 से प्रभावशील गौण खनिजों की रायल्टी दरें निम्नानुसार हैः–

क्र0	गौण खनिज	रायल्टी दरें
1	आकारीय पत्थर ग्रेनाइट, डोलेराइट और अन्य आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानें जिनका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिये किया जाता है :–	
	(क) काला रंग	रू0 1000/– प्रति घन मीटर

	(ख) अन्य रंग	रू0 500/– प्रति घन मीटर
2	संगमरमर जिसका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिये किया जाता है।	रू0 300/– प्रति घन मीटर
3	अन्य प्रयोजन के लिये संगमरमर पत्थर	रू0 200/– प्रति घन मीटर
4	फ्लेगस्टोन–प्राकृतिक परतदार पत्थर जिसका उपयोग फर्श छत आदि के लिये किया जाता है ।	रू0 103/– प्रति घन मीटर
5	रेत एवं बजरी	रू0 20/– प्रति घन मीटर
6	मुरम	रू0 20/– प्रति घन मीटर
7	पत्थर (क) बोल्डर (ख) गिट्टी, रोड मेटल (ग) परिष्कृत पत्थर, खण्डा, ढोका	रू0 103/– प्रति घन मीटर
8	मिट्टी, ईट एवं टाइल्स निर्माण हेतु	रू0 20/– प्रति घन मीटर
9	अन्य गौण खनिज	रू0 40/– प्रति घन मीटर

10. खनिजों के अवैध उत्खनन तथा परिवहन पर नियंत्रण– खनिजों के उत्खनन एवं परिवहन के रोकथाम हेतु खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के अन्तर्गत प्रावधान किए गए है जिसके अनुसार (i) जो कोई व्यक्ति एमएमडीआर, 1957 की धारा 4 की उपधारा (1) या उपधारा (1ए) के उपबंधों का उल्लंघन करता है वह ऐसे कारावास की अवधि से जिसकी सीमा दो वर्ष तक हो सकती है या जुर्माना जिसकी सीमा पच्चीस हजार रूपये तक हो सकती है या दोनों से दण्डित किया जा सकता है । इसी अनुरुप छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 53 अन्तर्गत भी गौण खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के लिए शस्ति का प्रावधान किया गया है ।

11. **छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 :–** राज्य शासन द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23(सी) के अंतर्गत उक्त नियम बनाए गए हैं जो कि 14 अगस्त, 2009 से प्रभावशील है । उक्त नियम के अधीन विधिमान्य अभिवहन पास (ट्राजिट पास) के बिना कोई भी व्यक्ति किसी खनिज/अयस्क या/तथा उसके/उनके प्रसंस्करित उत्पाद को, उनके खनन/उत्खनन/भण्डारण/प्रसंस्करण स्थान से किसी दूसरे स्थान तक किसी वाहन द्वारा अथवा अन्यथा न तो परिवहन करेगा और न परिवहन कराएगा । इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन प्राप्त वैध ''भण्डारण अनुज्ञापत्र'' धारण किए बिना खनिज/खनिजों का

खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर या गन्तव्य स्थान से अन्यत्र प्रसंस्करण या किसी अन्य प्रयोजन के लिए भण्डारण/प्रसंस्करण/क्रशिंग हेतु संयंत्र की स्थापना नहीं करेगा ।

खनिजों के अस्थाई भण्डारण/प्रसंस्क्रण/क्रशिंग हेतु अनुज्ञा पत्र एवं उसके नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क सहित आवेदन संबंधित जिले के कलेक्टर को उक्त नियम के अंतर्गत निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया जाना होगा ।